UPJS010001822026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, झाँसी।

पीठासीन- कमलेश कच्छल, (उच्चतर न्यायिक सेवा) JO Code No- UP1881

सत्रवाद संख्या- 37/ 2026 (CNR No. UPJS01- 000182- 2026)

राज्य बनाम सतेन्द्र सिंह गुर्जर आदि

मु०अ०सं०- 349/ 2025

धारा- 109(1) , 117(2) , 352, 351(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023

थाना- सीपरी बाजार, जिला झाँसी।

दिनांकः- 13. 02. 2026 **आदेश**

1. पत्रावली पेश हुयी। अभियुक्त सतेन्द्र सिंह गुर्जर न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार से उपस्थित। अभियुक्तगण नीरज गुर्जर एवं विपिन गुर्जर जेरे जमानत मय विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) उपस्थित।

2. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, (दाण्डिक) ने अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोप का वर्णन करते हुए यह कथन किया है कि वह अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये अभियोग को किस- किस साक्ष्य से प्रमाणित करने की प्रतिस्थापना करते है। विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा यह भी कथन किया गया कि अभियुक्तगण पर वादिया मुकदमा के पति भैयालाल को गाली- गलौज करते हुये सिर पर जान से मारने की नियत से धारदार हथियार कुल्हाड़ी, डण्डे से सिर व शरीर पर प्रहार कर फ्रैक्चर युक्त गंभीर चोटें पहुचांने तथा जान से मारने की धमकी देने का आरोप विरचित किया जाए।

जबकि अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि अभियुक्तगण निर्दोष है, उन्हें मामले में झूठे तथ्यों के आधार पर फंसाया गया है। उन्होंने कोई आपराध कारित नहीं किया है। अतः अभियुक्तगण को कथित अपराध से उन्मोचित किया जाए।

3. मैंने अभियोजन कथानक एवं पत्रावली पर उपलब्ध केस डायरी सहित अन्य दस्तावेजों पर विचार किया तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

4. उभय पक्ष को सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन उपरान्त न्यायालय इस अभिमत की है कि मामले में ऐसी उपधारणा करने का प्रथम दृष्टया साक्ष्य उपलब्ध है कि अभियुक्तगण सतेन्द्र सिंह गुर्जर , विपिन गुर्जर व नीरज गुर्जर ने धारा- 109(1) , 117(2) , 352, 351(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अन्तर्गत प्रथम दृष्टया अपराध कारित किया है। अतएवं अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त धाराओं के अन्तर्गत आरोप विरचित कर परीक्षण करने का पर्याप्त आधार है।

5. अतएव एतदद्वारा मैं यह निर्देश देती हूँ कि अभियुक्तगण सतेन्द्र सिंह गुर्जर , विपिन गुर्जर व नीरज गुर्जर के विरूद्ध धारा- 109(1) , 117(2) , 352, 351(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अन्तर्गत आरोप विरचित किया जाये।

6. पृथक से आरोप विरिचत किया गया व अभियुक्तगण को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने लगाये गये आरोपों को अस्वीकार किया तथा विचारण की मांग की। फलस्वरूप अभियोजन साक्ष्य की कार्यवाही अग्रसारित की गयी।

7. पत्रावली वास्ते साक्ष्य **दिनांक- 06. 03. 2026** को पेश हो। साक्षी नियमानुसार तलब हो।

दिनाँकः- 13. 02. 2026

(कमलेश कच्छल)
सत्र न्यायाधीश,
झाँसी।

UPJS010001822026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, झाँसी।

पीठासीन- कमलेश कच्छल, (उच्चतर न्यायिक सेवा) JO Code No- UP1881

सत्रवाद संख्या- 37/ 2026 (CNR No. UPJS01- 000182- 2026)

राज्य बनाम सतेन्द्र सिंह गुर्जर आदि

मु०अ०सं०- 349/ 2025

धारा- 109(1) , 117(2) , 352, 351(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023

थाना- सीपरी बाजार, जिला झाँसी।

आरोप

मैं **कमलेश कच्छल**, सत्र न्यायाधीश, झाँसी आप अभियुक्तगण **सतेन्द्र सिंह गुर्जर, विपिन गुर्जर** व **नीरज गुर्जर** के विरूद्ध निम्नलिखित आरोप विरचित करती हूँ-

1- यह कि घटना दिनांक - 15. 09. 2025, समय शाम करीब- 06. 30 बजे, स्थान- ग्राम लकारा चौकी क्षेत्र, ग्वालियर रोड अन्तर्गत थाना- सीपरी बाजार, जिला- झाँसी के क्षेत्राधिकार में आप लोगों ने वादिनी मुकदमा के पति भैयालाल को जान से मारने की नीयत से उसके सिर व शरीर पर धारदार हथियार कुल्हाड़ी व डण्डे से मारकर गंभीर उपहति पहुँचाई। यदि आप लोगों के उक्त कृत्य से उसकी मृत्यु हो जाती, तो आप लोग हत्या के अपराध के दोषी होते। इस प्रकार आप लोगों का यह कृत्य **भारतीय न्याय संहिता, 2023** की **धारा- 109(1)** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है, जिसका संज्ञान लेने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

2- यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप लोगों ने वादिनी के पति भैयालाल पर कुल्हाडी व लाठी से मारकर हाथ में फ्रैक्चरयुक्त घोर उपहति पहुंचाई। इस प्रकार आप लोगों का यह कृत्य **भारतीय न्याय संहिता, 2023** की **धारा- 117(2)** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है, जिसका संज्ञान लेने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

3- यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप लोगों ने वादिनी, उसके पति व परिवारीजन के साथ गाली गलौज कर लोक शांति भंग करने के आशय से अपमानित करने का अपराध कारित किया। इस प्रकार आप लोगों का यह कृत्य **भारतीय न्याय संहिता, 2023** की **धारा- 352** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है, जिसका संज्ञान लेने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

4- यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप लोगों ने वादिनी, उसके पति व परिवारीजन को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास का अपराध कारित किया। इस प्रकार आप लोगों का यह कृत्य **भारतीय न्याय संहिता, 2023** की **धारा- 351 (2)** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है, जिसका संज्ञान लेने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

अतएव मैं एतदद्वारा आप लोगों को यह निर्देश देती हूँ कि उक्त आरोप के लिए आप लोगों का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाये।

दिनाँकः- 13. 02. 2026

(कमलेश कच्छल)
सत्र न्यायाधीश,
झाँसी।

अभियुक्तगण को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया, जिसे उन्होंने मानने से इंकार किया व परीक्षण की मांग की।

दिनाँकः- 13. 02. 2026

(कमलेश कच्छल)
सत्र न्यायाधीश,
झाँसी।